69/24

69/2024

10.6.2024 पत्रावली वादिनी एवं वकील के प्रार्थना पत्र करते पत्रावली तलब करने बाबत पेश हुई। प्रार्थना पत्र वादिनी-वादिया विरुद्ध करने बाबत पेश की गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 आदिवासी हैं, इनकी पहचान वकील श्री बीराराम प्रजापत द्वारा की गई। वकील वादिनी ने निवेदन किया कि विवादित भूमि के संबंध में पहले पक्षकारों के मध्य कोई कार्यवाही की आवश्यकता ने प्रति होकर समझौता के आधार हैं। अब विवादित भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं है वादिनी के हक में हक प्राप्त हो चुका है। भविष्य में वादिनी विवादित भूमि के संबंध में कोई वाद विवाद नहीं करने हेतु पाबंद रहेगी। अतः पत्रावली आज ही तारीख पर ही बाबत वाद बिन्दु विरोध खारिज किया जावें। प्रतिवादी पक्ष के भी वाद-पत्र खारिज किए जाने पर आपत्ति नहीं की गई।

RTI पेश्यो

Bhum

R.T.I. कार्यालय

हमने उभयपक्ष को सुना और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। यह उभयपक्ष ने स्वीकार किया है कि विवादित भूमि के संबंध में समझौता हो गया है। अब पक्ष-पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। इससे स्पष्ट है कि वाद हेतुक समाप्त हो गया है। ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर पत्रावली आज ही तारीख पर ही जाती है। तथा वादिनी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

भवराराम

पत्रावली अभिलेख होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा